परिशिष्ट 'च'
मण्डुवाडीह

डी के स्टेशन, हाल्ट, आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

1 यार्ड से निकलने वाली साइडिंग की कार्यविधि :-

नान रनिंग लाइन सं0 5,6,7 एवं 8 दक्षिण छोर पर मुख्य रनिंग लाइन तथा उत्तर छोर पर मेन रनिंग लाइन से सम्बद्ध है ।सामान्य स्थिति में सेट किया हुआ कांटा सं0 1 - 1ए एवं 8 - 8एक्स को रैक हैण्डिलिंग लाइन में संटिंगं के लिये विपरित स्थिति में कर दिया जायेगा । रैक हैण्डिलिंग साइडिंग के लिये नियंत्रक चाभी एफ स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध 8वे लाक अप बाक्स में रहती है । एफ चाभी को निकालकर 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर शंटिंग स्थलपर भेजने के लिये साइडिंग चाभी क्यू या आर को मुक्त करती है । आर चाभी कांटा सं0 ए1 में लगाने पर चाभी एस तथा चाभी क्यू कांटा सं0 8एक्स में लगाने पर चाभी एस-1 रिलीज होती है। जैसे ही साइडिंग का कार्य पूरा हो जाय साइडिंग को सामान्य स्थिति में सेट तथा ताला बन्द कर दिया जायेगा तथा चाभी आर या क्यू, जैसी भी स्थिति हो, को वापस भेज दी जायेगी जिससे चाभी एफ मुक्त हो सके और 8वे लाक अप बाक्स में वापस कर दिया जायेगा ।

2 बाहर पड़ने वाली साइडिंग की कार्यविधि :- वाशिंग पिट काम्प्लेक्स

मण्डुवाडीह के नान रनिंग लाइन सं0 5,6,7,8 तथा रनिंग लाइन सं0 1, 2, 3 एवं 4 से वाराणसी छोर की तरफ मण्डुवाडीह - वाराणसी के मध्य वाशिंग लाइन , ट्रेक डीपो लाइनों तथा कोयला लाइनों के रुप में तीन परिसर सम्बद्ध है जिनका यार्ड विन्यास संलग्न नियमारेख सं0 डिव / एसएण्डटी / एमयूवी - बीएसबी दिनांक 17.11.99. में दिखाया गया है । इस साइडिंग में शंटिंग हेतु अनुदेश निम्नवत है :-

(i) इन परिसरों में कोई रैक संचलन कार्य की जिम्मेदारी शंटिंग मास्टर / जमादार की होगी ।

(ii) संचलन के समय इसके मार्ग में पड़ने वाले समपार फाटक सं0 3 ए के पहले प्रदत्त ठहराँव बोर्ड पर दोनो तरफ से संचलन के पूर्व लोड को चालक खड़ा करेगा और फाटक का बन्द होना सुनिश्चित करने के बाद ही शंटिंग स्टाफ द्वारा दिये जा रहे सिगनल पर चालक समपार को पार करेगा ।

(III) शंटिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि लोड का समय से स्थापन / विस्थापन, क्षतिग्रस्त लोड का काटना, सिक लाइन में स्थापन / विस्थापन, लोड को रनिंग लाइन में समय से स्थापित करना / हटाना एवं चाभियों को समय से कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास भेजना ताकि शटिंग के बाद गौड़यों के आगमन / प्रस्थान ठीक ठंग से एवं समय से कराया जा सके ।

(iv) स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये कोचिंग निर्देश के अनुसार वाहनों का लगाना / काटना शंटिग मास्टर / जमादार की जिम्मेदारी होगी । इसे वे सुनिश्चित करेंगे ।

(v) वाशिंग पिट / सिक लाइन से विस्थापना हेतु इन लाइनों में प्रवेश से पूर्व शटिंग मास्टर / जमादार रैक का रिलीज होना सुनिश्चित करेगा ।

(vi) सभी संचलन विवरण को समय के साथ शंटिंग मास्टर अपनी डयरी में रखेंगे और कार्यमुक्त होते समय मण्डुवाडीह के सभी रनिंग तथा नानरनिंग लाइनों एवं तीनो परिसरों की स्थिति से कार्यरत स्टेशन मास्टर को अवगत करायेंगें ।

क्रमशः पृष्ट 2 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

2.3 वाराणसी यार्ड एवं बी0जी0 वाशिंग पिट काम्प्लेक्स तथा ट्रेक डीपो के मध्य रैक के संचलन की विधि :- संरक्षित संचलन हेतु निर्देश निम्नवत है :-

(I) मण्डुवाडीह से वाराणसी के बीच वाशिंग पिट लाइन से प्रत्येक रैक संचलन के समय तथा बीच में पड़ने वाले सभी कांटों की सही सेटिंग एवं गेट से संरक्षापूर्वक पास कराने की जिम्मेदारी कार्यरत शंटिंग / कांटावाला, मण्डुवाडीह की होगी ।

(II) वाराणसी से लोको गुमटी के बीच कांटा सं0 1 तक लाइट इंजन के आने - जाने की संरक्षित संचलन की जिम्मेदारी कांटावाला, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी की होगी ।

(III) केबिनमैन (लोको गुमटी), कार्य अनुदेश के अनुसार अपने कार्य के लिये जिम्मेदार होगा ।

3 लोको गुमटी :-

वाराणसी यार्ड एवं बी0जी0 वाशिंग पिट काम्प्लेक्स तथा ट्रेक डीपो के मध्य सवारी यानों एवं भारवाहनों के संचलन हेतु विषेश निर्देश निम्नवत है । इसका यार्ड विन्यास संलग्न नियमारेख सं0 जि0सि0दू0इं0/नि0/वारा0/92/आर0डी0/5 दिनांक 05.08.92.में दिखाया गया है ।:-

3.1 लोको गुमटी पर सभी परिचालन कार्यो का दायित्व वहाँ पदस्थापित केविनमैन के द्वारा निस्पादित किया जायेगा । केविनमैन यहाँ 12 घंटे की पाली में कार्य करेंगे जिनका रोस्टर 06.00 से 18.00 बजे एवं 18.00 से 06.00 बजे तक का होगा । इनके विश्राम एवं अवकाश की व्यवस्था स्टेशन अधीक्षक / मण्डुवाडीह द्वारा समकक्ष कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर किया जायेगा ।

3.2 लोको गुमटी वाशिंग पिट से वाराणसी यार्ड या उत्तर रेलवे के पश्चिम केविन तक कोई कोड इस ढंग से भेजा जायेगा कि इंजन हमेशा आगे रहे अर्थात इंजन लिडिंग लोड प्रेषित किया जायेगा ।

3.3 शंटिंग मास्टर / जमादार लोको गुमटी पर कार्यरत केविनमैन को वाराणसी यार्ड या पश्चिम केविन उत्तर रेलवे जाने के लिये सूचित करेगा । ऐसी सूचना के आधार पर कार्यरत केविनमैन वाराणसी यार्ड जाने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर, पावर केविन,उत्तर रेलवे,वाराणसी एवं पश्चिम केविन, उत्तर रेलवे ,वाराणसी जाने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर, पश्चिम केविन, उत्तर रेलवे ,वाराणसी को दूर भाष से सूचित करेगा तथा पुष्टि स्वरुप उनसे प्राइवेट संख्या प्राप्त करके सम्बन्धित पंजिका में दर्ज करेगा ।

3.4 तदुपरान्त कार्यरत केविनमैन समपार सं0 2 श्रेणी ए पर कार्यरत फाटक वाला को गाडी के पूर्ण विवरण सहित सूचित करेगा तथा अपना प्राइवेट संख्या देगा । कार्यरत फाटक वाला समपार को बन्द तथा लाक करने के प्रमाण स्वरुप अपना प्राइवेट संख्या कार्यरत केविनमैन को देगा जो इसे सम्बन्धित पंजिका में दर्ज करेगा ।

3.5 इसी प्रकार लोड को वाराणसी यार्ड से या पश्चिम केविन / उत्तर रेलवे से आने के लिये सम्बन्धित स्टेशन मास्टर, कार्यरत केविनमैन लोको गुमटी को सूचित करेगा तथा उससे प्राइवेट संख्या का आदान - प्रदान करेगा ।

3.6 गाड़ी संचलन से पूर्व सम्बन्धित स्टेशन मास्टर पावर केविन या पश्चिम केविन, उत्तर रेलवे समपार फाटक सं0 2 श्रेणी ए के कार्यरत फाटक वाला को सूचित करेगा तथा उससे प्राइवेट संख्या का आदान - प्रदान करेगा ।

3.7 रेक / लोड संचलन के दौरान चालक शंटिंग के लिये निर्धारित गति का पालन करेगा तथा रास्ते में पड़ने वाले सभी हस्त चालित कांटे की सही सेटिंग रेक / लोड के साथ चल रहे शंटिंग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा ।

क्रमशः पृष्ट 3 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

3.8 दोनो ओर के संचलन के लिये शंटिंग कर्मचारी द्वारा रेक / लोड का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके लिये वे अंतिम वाहन की संख्या को नोट रक सम्बन्धित सस्टेमा / केविनमैन को बतायेंगे ।

3.9 वाराणसी यार्ड / पश्चिम केविन, उत्तर रेलवे से / को आने / जाने वाले रेक / लोड के लिये कार्यरत केविनमैन लोको गुमटी यदि आवश्यक हो तो संचलन से सम्बन्धित कांटा, जो उसके करीब पड़ता है, को सेट एवं फेसिंग होने पर ताला बन्द करेगा ।

3.10 ज्योहिं रेक / लोड पूर्ण रुपेण गुमटी पर पहुँच जाता है कार्यरत केविनमैन लोको गुमटी सम्बन्धित सस्टेमा / केविनमैन को रेक / लोड के पूर्ण आने की सूचना प्राइवेट संख्या के आदान - प्रदान के साथ करेगा । रेक / लोड के पूर्ण आने के बाद ही दूसरा संचलन सम्बन्धित खण्ड में किया जायेगा ।

3.11 रेक / लोड के संरक्षात्मक संचलन के लिये शंटिंग मास्टर / जमादार जिम्मेदार होगा तथा रेक / लोड को समपार संख्या 2 श्रेणी ए से गुजरने के पूर्व शंटिंग मास्टर / जमादार समपार फाटक का सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द होना सुनिश्चित करेगा । इसके लिये वह समपार के पहले ही स्टाप बोर्ड पर रेक / लोड को खड़ा करेगा तथा समपार फाटक के बन्द होने पर गाड़ी को पाइलट करेगा । चालक समपार को प्रतिबन्धित गति से पार करेगा ।

3.12 शंटिंग मास्टर / जमादार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई संचलन उत्तरी रेलवे के वाशिंग लाइन से / को नहीं हो रहा हो । इसके लिये सभी चालक स्टाप बोर्ड पर रुकेगें तथा संकेत मिलने पर ही आगे प्रस्थान करेगे ।

3.13 इस गुमटी पर कार्यरत केविनमैन कोच के क्षतिग्रस्त / फीट मेमो जो टीएक्सआर वाशिंग पिट द्वारा दिया जायेगा, को प्रप्त करने के लिये उत्तदायी होगा । रेक के रीलिज मेमो भी केविन मैन प्राप्त करेगा तथा इसकी तत्काल सूचना स्टेशन मास्टर / मेन, पूर्वोत्तर रेलवे को देगा ताकि स्टेशन मास्टर / मेन, पूर्वोत्तर रेलव योजनाबद्ध तरीके से रेक का स्थापना कर सके । कार्यरत केविनमैन को समय - समय पर स्टेशन मास्टर / मेन, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत भी रेक की शंटिंग आदि में सहायता करना होगा ।

3.14 लोको गुमटी से होकर एफ0सी0 आई0 साइडिंग / डी0एल0डब्लू0 का भी संचलन पश्चिम केविन / उत्तर रेलवे से होता है । एफ0सी0 आई0 साइडिंग / डी0एल0डब्लू0 या ट्रैक डीपो से पश्चिम केविन / उत्तर रेलवे को जाने वाले लोड भी स्टा बोर्ड पर आकर रुकने केबाद अनुमति मिलने पर ही चलाये जायेंगे ।एक ही समय में कनफ्लिक्टिंग संचलन न हो, इसको देखने का उत्तरदायित्व केविनमैन का भी है ।

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी